**प्रेस नोट दिनाक 25/09/2025**

**गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायलंखसी जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त गुलाम रब्बानी पुत्र इसराईल निवासी अलीनगर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के द्वारा विधि की स्थापित प्रक्रिया के विपरीत अपराध से अर्जित अवैध धन से क्रय की गयी अपाचे मोटर साइकिल न0 UP54AS 7562 (कीमत एक लाख पच्चीस हजार रूपये) को थाना दक्षिण टोला द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट में कुर्क किया गया–**

आज दिनांक 25.09.2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी द्वारा अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 146/2025 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायलखंसी जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त/गैंग लीडर गुलाम रब्बानी पुत्र इसराईल निवासी अलीनगर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से अपाचे मोटर साइकिल न0 UP54AS 7562 क्रय की गयी है। उक्त मोटर साइकिल को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने हेतु श्रीमान जिलाधिकारी मऊ महोदय वाद संख्या 1740/2025 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202515510001740 में प्राप्त आदेश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय पुलिस बल के अभियुक्त के घर पर पहूंच कर मोटर साइकिल अपाचे न0 UP54AS 7562 को नियमानुसार अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट में कुर्क किया गया तथा कुर्क शुदा अपाचे मोटर साइकिल पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश को उल्लेखित किया गया । अभियुक्त गुलाम रब्बानी पुत्र इसराईल निवासी अलीनगर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ एक आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो गोवंशीय पशुओं का तस्कर है । थाना सरायलखंसी का हिस्ट्रीशीटर भी है, जिसका पूर्व का आपराधिक इतिहास है ।

**अभियोग का विवरण जिसमें उक्त सम्पत्ति कुर्क की गयी है–**

1.मु0अ0सं0 146/2025 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायलखंसी जनपद मऊ ।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–**

1.मु0अ0सं0 313/2023 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

2.मु0अ0सं0 366/2023 धारा 307/120B भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

3.मु0अ0सं0 367/2023 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

4.मु0अ0सं0 368/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

5.मु0अ0सं0 09/2024 धारा 7/25/27 आयुध अधिनियम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

**कुर्क करने वाली पुलिस टीम–**

1.प्रभारी निरी0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

2.व0उ0नि0 बसन्त लाल थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

3.का0 अमरनाथ मौर्य थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

4.का0 अमित कुमार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

5.म0का0 गुंजन सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

**छिनैती की मोबाइल के साथ एक बाल अपचारी अभिरक्षा में–**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीपुर पुलिस द्वारा दिनांक 24.09.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पूर्वाचल एक्सप्रेसवें अण्डर पास गोकुलपुरा के पास से मु0अ0सं0 168/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना रानीपुर से संबंधित प्रकाश में आये एक बाल अपचारी के कब्जे से छिनैती की एक अदद मोबाइल फोन बरामद कर अभिरक्षा में लिया गया।

उल्लेखनीय है किं दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सिरियापुर देईया माता मन्दिर के पास से पीड़ित का मोबाइल छीनकर भाग गये थे।

**अभियोग का विवरण–**

1. मु0अ0सं0 168/25 धारा धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना रानीपुर जनपद मऊ

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत, क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय सिंह, प्रभारी निरीक्षक मधुबन द्वारा श्याम तिवारी पीजी कालेज व इ. कालेज मधुबन जनपद मऊ मे "मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत एक विशेष जन-जागरूकता

अभियान किया गया इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद की महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करना एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु पुलिस की सक्रिय भूमिका को स्थापित करना है।

क्षेत्राधिकारी महोदय ने कहा कि सुरक्षित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर महिला ही सशक्त समाज की नींव होती है। मऊ पुलिस मिशन शक्ति अभियान को केवल औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि जनहित में एक निरंतर प्रयास के रूप में देखती है और इसके तहत महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहेगी।

**महिला सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई-**

महिलाओं व छात्राओं को कानूनी अधिकार, सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 112, 181, 1930, 102 आदि ) की जानकारी दी गई एवं किसी भी आपात स्थिति में उनसे कैसे सहायता प्राप्त की जा सकती है, यह भी विस्तार से बताया गया। तथा आत्मरक्षा के उपाय सिखाए गए।

इन संवाद सत्रों में सहज वातावरण में चर्चा करते हुए छात्राओं को उनके आसपास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना और उस पर प्रतिक्रिया देना सिखाया गया।

महिलाओं में विश्वास और सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम-इस अभियान के माध्यम से पुलिस ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि महिला सुरक्षा एक सामूहिक दायित्व है,जिसमें पुलिस, समाज एवं परिवार की समान भूमिका होनी चाहिए।

पुलिस द्वारा चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों ने महिलाओं एवं बालिकाओं में भरोसे एवं आत्मविश्वास का वातावरण तैयार किया है

मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत जनपद के विभिन्न स्थानों पर चौपालों का आयोजन एवं टैंपलेट्स का किया गया वितरण।

पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ श्री इलामारन जी द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस को सक्रिय भागीदारी कर महिलाओं को जागरुक करने, उनके सशक्तिकरण एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।

उक्त दिये गये निर्देश के अनुपालन के क्रम में समस्त थानों पर गठित महिला सुरक्षा दलों द्वारा अपने अपने बीट/क्षेत्र आदि में जाकर उनमें पड़ने वाले विद्यालयों/कस्बों/ ग्रामों/ ग्रांम पंचायतों आदि में जाकर जागरुक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में –

☞ **महिला चौपाल लगाकर पैंपलेट्स वितरण** - महिला सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण कराने के उद्देश्य से महिला चौपाल का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ जुड़कर उन्हें सशक्त, महिलाओं में सुरक्षा, आत्मनिर्भर बनाने, महिला सम्बन्धी अधिकारों, समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया गया। चौपालों में उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं अपने आत्मसम्मान के साथ किसी प्रकार का समझौता न करनें, उनके अधिकारों के विषय में एवं उनके सहयोग हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। सुविधा हेतु पैंपलेट्स वितरण कर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और बच्चियों को सरकारी योजनाओं और आपातकालीन नंम्बरों ( जैसे वीमेन पावर लाइन – 1090, महिला हेल्पलाइन – 181, पुलिस आपात सेवा – 112, सीएम हेल्पलाइन – 1076, स्वास्थ्य सेवा – 102, एम्बुलेंस – 108, साइबर हेल्पलाइन – 1930 ) अवगत कराते हुए तत्काल सहायता के विषय में बताया गया।

☞ **बालिकाओं को दी गयी गुड टच-बैड टच का जानकारी** - जनपद मऊ समस्त थानों की एंटी रोमियों टीम द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, शिक्षण संस्थानों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा संसाधनों के प्रति जागरूक किया। तथा छात्राओं/बालिकाओं को किसी भी व्यक्ति द्वारा चाहे वह कोई परिचित हो अथवा अपरिचित के द्वारा छूने पर बलिका असहज/अप्रिय स्थिति प्रतीत हो तो तत्काल उस स्थान से हटकर अपने अपने अभिभावक, अध्यापिका अथवा पुलिस को अवश्य जानकारी दे ताकि उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा सके। महिला पुलिस टीम द्वारा बालिकाओं को साइबर सुरक्षा (साइबर हेल्पलाइन – 1930) से जागरुक किया गया एवं सोशल मीडिया को सावधानी पूर्वक प्रयोग करने के लिये भी सुझाव दिया गया, किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी या शोहदों द्वारा परेशान किया जाता है तो तत्काल डायल 112 अथवा मिशन शक्ति टीम से शिकायत करें या सरकार द्वारा चलायी जा रही अन्य विभिन्न हेल्प लाइन नम्बर पर कॉल करें तत्काल संज्ञान लेकर गुप्त रूप से कार्यवाही की जायेगी।

☞ मिशन शक्ति टीम द्वारा महिला सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई एवं पैंपलेट्स वितरित किये गए-

➡ वीमेन पावर लाइन – 1090

➡ महिला हेल्पलाइन – 181

➡ पुलिस आपात सेवा – 112

➡ सीएम हेल्पलाइन – 1076

➡ स्वास्थ्य सेवा – 102

➡ एम्बुलेंस – 108

➡ साइबर हेल्पलाइन – 1930

☞ महिला सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी गई-

➡ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

➡ निराश्रित महिला पेंशन योजना

➡ राष्ट्रीय पोषण मिशन

➡ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

➡ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना

➡ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

➡ आयुष्मान भारत योजना

☞ एण्टी रोमियों टीम द्वारा संदिग्ध/आवारा लड़कों के विरूद्ध कार्यवाही/चेतावनी-

☞ समस्त थानों की एण्टी रोमियों पुलिस टीमों द्वारा धार्मिक स्थलों/ कोचिंग सेंटरों/ पार्क/ विद्यालयों के बाहर एंव भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रमें में अनावश्यक रुप से घूम रहे संदिग्ध/आवारा किस्म के व्यक्तियों से पूछताछ कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आवश्यकतानुसार चेतावनी दी जा रही है।

☞ जनपद मऊ पुलिस द्वारा यह जागरूकता अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत समाज में महिला सुरक्षा को लेकर सकारात्मक वातावरण एवं जन सहभागिता को और अधिक सशक्त बनाने हेतु किया जा रहा है ।